राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 2212/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
रामेश्वर लाल स्वामी वार्ड न0 3] गली न0 4] शक्ति नगर] सुभाष पार्षद धर के पास] पुरानी आबादी श्री गंगानगर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक निजी संस्थाए, कॉलेज शिक्षा जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 10-05-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री रामूराम राईका, संयुक्त निदेशक उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 24-07-2017 के द्वारा चयनित वेतनमान के संबंध में सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी ने वांछित सूचना कार्यालय में दिनांक 23-04-2018 को उपस्थित होकर प्राप्त करली है। अपीलार्थी ने इस आशय का एक पत्र प्रस्तुत किया है कि सूचना प्राप्त हो गई है कोई सूचना लेना शेष नहीं है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 02-05-2018 प्रस्तुत किया है जिसके साथ अपीलार्थी के पत्र की प्रति संलग्न की है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त